



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2227]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 30, 2014/कार्तिक 8, 1936

No. 2227]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 2014/KARTIKA 8, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2014

(आयकर)

का.आ.2793(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 10 अगस्त, 2007 को प्रकाशित अधिसूचना सं० का आ. 1386 (अ) का अधिक्रमण करते हुए और दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 को प्रकाशित अधिसूचना सं० का आ. 2752 का, जहां तक यह इस अधिसूचना की अनुसूची के स्तंभ (5) में उल्लिखित व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग से संबंधित है, का आंशिक अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या न की गई वस्तुओं को छोड़कर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा:-

(क) निदेश देता है कि इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त जिनके मुख्यालय उक्त अनुसूची के स्तंभ-3 में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट स्थानों पर हैं, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अनुसार भारत के निवासी होने अथवा भारत में सामान्य रूप में निवासी न होने पर ऐसे व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के वर्गों के संबंध में उक्त अनुसूची के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट तथा उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में उल्लिखित ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों में स्तंभ (5) में तदनुसूची प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कार्यों का निष्पादन करेंगे।

(ख) इस अधिसूचना में संदर्भित आयकर आयुक्तों को उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) में तदनुसूची प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों के संबंध में अपने अधीनस्थ अपर आयकर आयुक्तों/ तथा संयुक्त आयकर आयुक्तों द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने तथा कार्य के निष्पादन के लिए लिखित रूप में आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत करता है।

(ग) इसके अलावा इस अधिसूचना के खंड (ख) में संदर्भित अपर आयकर आयुक्तों या संयुक्त आयकर आयुक्तों को उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों के संबंध में अपने अधीनस्थ कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने तथा कार्य निष्पादित करने हेतु लिखित रूप में आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत करता है जिसके लिए इस अधिसूचना के खंड (ख) के अंतर्गत आयकर आयुक्तों द्वारा ऐसे अपर आयकर आयुक्तों या संयुक्त आयकर आयुक्तों को प्राधिकृत किया गया है।

2. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ-
अवस्थित होने का आशय-

- (क) व्यक्ति के कंपनी होने पर कंपनी अधिनियम 2013 या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है, इसका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान कोई कार्यालय या कोई शाखा या प्रभाग या इकाई का स्थान ;
- (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्तियों के मामले में जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे कारोबार या व्यवसाय का मूल स्थान या कारोबार या कार्यालय या शाखा या प्रभाग या इकाई का स्थान ;
- (ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्तियों के मामले में जो कारोबार या व्यवसाय से भिन्न स्रोत से आय प्राप्त करते हैं ;
- i) व्यक्ति के मामले में निवास का स्थान, जब तक कि इस अधिसूचना में अन्यथा व्यवस्था न हो;
- ii) हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में कर्ता का निवास स्थान ;
- iii) किसी फर्म या व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय या स्थानीय प्राधिकरण और कंपनियों से भिन्न सभी अन्य प्राकृतिक न्यायिक व्यक्तियों के मामले में कार्यालय का स्थान ;
- (घ) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, स्रोत पर कर कटौती या संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का कार्यालय ।

3. टिप्पणी:

- क) अनुसूची की क्रम सं. 11, 12, 22 और 23 में उल्लिखित वर्णमाला के 'अक्षर' का अर्थ वह अक्षर है जिसके साथ व्यक्ति का प्रथम नाम आरंभ होता है। श्री, श्रीमती, मैसर्स आदि जैसे प्रारंभिक शीर्षकों पर इस प्रयोजन के लिए ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार के कार्यालयों, मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, स्थानीय निकायों, संस्थाओं के मामले में, वर्णमाला के अक्षर का अर्थ वह अक्षर है जिसके साथ ऐसे मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, स्थानीय निकायों, संस्थाओं, जैसा भी मामला हो, का नाम आरंभ होता है। उदाहरणार्थ- विदेश मंत्रालय में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के मामलों में वर्णमाला अक्षर 'ई' होगा।

4. यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 2014 से प्रभावी होगी।

अनुसूची

क्र सं.	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग	शक्तियां और कार्य
1	2	3	4	5	6
1.	आयकर आयुक्त(टीडीएस) अहमदाबाद	अहमदाबाद गुजरात	गुजरात राज्य में:- (क) गुजरात राज्य में:- अहमदाबाद, अरावली, बनासकाठा, भावनगर, बोटाड, गांधी नगर, मेहसाना, पाटन, साबरकंठा, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, कच्छ, जूनागढ़, अमरेली, पोरबंदर, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, गिर सोमनाथ, मोरबी जिले; (ख) दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र में दीव जिला	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	जहां तक आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं अंतरण मूल्य निर्धारण), अहमदाबाद को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ख, धारा 194खक की उप-धारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII और XXIII के अंतर्गत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।

2	आयकर आयुक्त (टीडीएस) वडोदरा	वडोदरा, गुजरात	गुजरात राज्य में:- (क) वडोदरा, छोट्टा उदेयपुर, खेडा, आनन्द, पंचमहल, दाहोद, भडौच, नर्मदा, माहीसागर, सूरत, तापी नवसारी, बलसाड, डांग के जिले; (ख) दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र में दमन जिला; (ग) दादरा एवं नगर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र।	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	जहां तक आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं अंतरण मूल्य निर्धारण), अहमदाबाद को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठख, धारा 194ठखक की उप-धारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII और XXIII के अंतर्गत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।
3	आयकर आयुक्त (टीडीएस), बंगलौर	बंगलौर, कर्नाटक	कर्नाटक राज्य में:- बंगलौर शहर, बंगलौर ग्रामीण, कोलार, चिकबल्लापुरा, राम-नगरम, मैसूर, मांड्या, हसन, तुमकर, चिकमंगलूर, चाम राज नगर, मादीकेरी	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	जहां तक आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान), बंगलौर को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII और XXIII के अंतर्गत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।
4	आयकर आयुक्त (टीडीएस), पणजी,	पणजी, गोवा	(क) कर्नाटक राज्य में:- बेलगाम, वीजापुर, बागलकोट, कारवार, उडुपी, मंगलौर, बीदर, गुलबर्गा, यदागिरि, रायचूर, कोप्पल, बेल्लारी, गडग, धारवाड, हावेरी, शिमोगा, दावनगेरे एवं चित्रदुर्ग; (ख) गोवा राज्य।	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	जहां तक आयुक्त (अंतर राष्ट्रीय कराधान), बंगलौर को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII और XXIII के अंतर्गत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर

					कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।
5	आयकर आयुक्त (टीडीएस), भोपाल	भोपाल, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश एवं छत्तीस गढ़ राज्य	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	जहां तक आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं अंतरण मूल्य निर्धारण), अहमदाबाद को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII और XXIII के अंतर्गत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।
6	आयकर आयुक्त (टीडीएस), भुवनेश्वर	भुवनेश्वर, उड़ीसा	उड़ीसा राज्य	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	जहां तक आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं अंतरण मूल्य निर्धारण), कोलकाता को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII और XXIII के अंतर्गत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।
7	आयकर आयुक्त (टीडीएस), चंडीगढ़-1	चंडीगढ़	पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	जहां तक आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान), दिल्ली-2 को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII और XXIII के अंतर्गत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।
8	आयकर आयुक्त (टीडीएस), चंडीगढ़-2	चंडीगढ़	हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश के राज्य।	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति	जहां तक आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान), दिल्ली-2 को सौंपी गई

				जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ख, धारा 194खक की उपधारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII और XXIII के अंतर्गत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।
9	आयकर आयुक्त (टीडीएस), चेन्नई	चेन्नई, तमिलनाडु	(क) तमिलनाडु राज्य में:- चेन्नई, कांचीपुरम, वेल्लोर, तिरुवैल्लूर, कुड्डालोर, तिरुवैल्लूर, कुड्डालोर, विल्लुपुरम; (ख) पुदुचेरि संघ राज्य क्षेत्र (यानम, माहे तथा कराइकल जिले को छोड़कर)।	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	जहां तक आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान), चेन्नई को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ख, धारा 194खक की उपधारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII और XXIII के अंतर्गत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।
10	आयकर आयुक्त (टीडीएस), कोयम्बटूर	कोयम्बटूर, तमिलनाडु	(क) तमिलनाडु राज्य में:- कोयम्बटूर, इरोड, तिरुपुर, नीलगिरि, त्रिचि, पुडुकोट्टई, पेराम्बलूर, आर्यालूर, तिरुवरूर, तंजावूर, कारूर, नागापट्टिनम, डिंडिगुल, धेनी, सिवागंगा, मुदुरै, विरूद्ध नगर, तिरुनेलवेली, रामानाथपुरम, कन्याकुमारी, ट्यूटीकोरिन, सालेम,, नमाक्कल, धरमपुरी और कृष्णागिरि; (ख) पुदुचेरी के संघ राज्य क्षेत्र में कराइकल का जिला।	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	जहां तक आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान), चेन्नई को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ख, धारा 194खक की उपधारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII और XXIII के अंतर्गत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।
11	आयकर आयुक्त (टीडीएस), नई दिल्ली-1	नई दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर	जहां तक आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान), दिल्ली को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की

				कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	धारा 194ड., 194ठब, धारा 194ठबक की उपधारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII और XXIII के अंतर्गत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।
12	आयकर आयुक्त (टीडीएस), दिल्ली-2	नई दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	जहां तक आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान), दिल्ली को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठब, धारा 194ठबक की उपधारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII और XXIII के अंतर्गत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।
13	आयकर आयुक्त (टीडीएस), गुवाहाटी	गुवाहाटी, असम	असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	जहां तक आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं अंतरण मूल्य निर्धारण), कोलकाता को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठब, धारा 194ठबक की उपधारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII और XXIII के अंतर्गत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।
14	आयकर आयुक्त (टीडीएस), हैदराबाद	हैदराबाद, तेलंगाना	तेलंगाना राज्य।	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	जहां तक आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं अंतरण मूल्य निर्धारण), हैदराबाद को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठब, धारा 194ठबक की उपधारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195,

					196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII और XXIII के अंतर्गत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।
15	आयकर आयुक्त (टीडीएस), विजयवाडा	विजयवाडा, आंध्रप्रदेश	(क) आंध्रप्रदेश राज्य (ख) पुद्दुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का जिला यानम	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	जहां तक आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं अंतरण मूल्य निर्धारण), हैदराबाद को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ख, धारा 194खक की उपधारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII और XXIII के अंतर्गत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।
16	आयकर आयुक्त (टीडीएस), जयपुर	जयपुर, राजस्थान	राजस्थान का राज्य	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	जहां तक आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान), दिल्ली-1 को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ख, धारा 194खक की उपधारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII और XXIII के अंतर्गत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।
17	आयकर आयुक्त (टीडीएस), कानपुर	कानपुर, उत्तर प्रदेश	(क) उत्तर प्रदेश राज्य में:- कानपुर नगर तथा कानपुर देहात (रामबाईनगर), जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, मथुरा एवं औरैया, आगरा, फिरोजाबाद, झांसी, ललितपुर, इटावा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद,	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	जहां तक आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान), दिल्ली-3 को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ख, धारा 194खक की उपधारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII,

			कनौज, एटा, हाथरस, मैनपुरी, कांशीरामनगर, (कासगंज), मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ एवं बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंद शहर, तथा गौतम बुद्ध नगर के जिले; (ख) उत्तराखंड राज्य		XXI, XXII और XXIII के अंतर्गत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।
18	आयकर आयुक्त (टीडीएस), कोचि	कोचि, केरल	(क) केरल राज्य (ख) लक्षदीप संघ राज्य क्षेत्र (ग) पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का माहे जिला	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	जहां तक आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान), बंगलौर को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII और XXIII के अंतर्गत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।
19	आयकर आयुक्त (टीडीएस), कोलकाता	कोलकाता पश्चिम बंगाल	(क) पश्चिम बंगाल के राज्य में:- (i) कोलकाता नगर निगम की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र; (ii) हावड़ा, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, हुगली, नादिया, मुर्शिदाबाद, पूर्वा (पूर्व) मेदिनीपुर, पश्चिम (पश्चिम) मेदिनीपुर। (ख) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह; का संघ राज्य क्षेत्र	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	जहां तक आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं अंतरण मूल्य निर्धारण), कोलकाता को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII और XXIII के अंतर्गत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।
20	आयकर आयुक्त (टीडीएस) सिलिगुड़ी	सिलिगुड़ी पश्चिम बंगाल	(क) पश्चिम बंगाल राज्य में:- बर्धवान, बीरभूम, बंक्रुरा, पुरुलिया, मालदा, जलपाईगुड़ी, अलिपुरद्वार, कूचबिहार, दार्जिलिंग, उत्तर (नार्थ) दिनाजपुर, दक्षिण (साउथ) दिनाजपुर जिले:- (ख) सिक्कम राज्य।	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	जहां तक आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं अंतरण मूल्य निर्धारण), कोलकाता को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII और XXIII के

					अंतर्गत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।
21	आयकर आयुक्त (टीडीएस) लखनऊ	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य में:- लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, फैजाबाद, मुलतानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, रायबरेली, जौनपुर बस्ती, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, सन्त कबीर नगर, इलाहाबाद,, मिर्जापुर, फतेहपुर, सोनभद्रा, कौशांभी, वाराणसी, भदोही, (संत रविदास नगर) बलिया, गाजीपुर,, चन्दोली, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़,, कुशीनगर, महाराजगंज, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बदायूं, अमरोहा(ज्योतिबाफुले नगर) तथा सम्भल जिले।	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	जहां तक आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान), दिल्ली-3 को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड.,194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII और XXIII के अंतर्गत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।
22	आयकर आयुक्त (टीडीएस) मुम्बई-1	मुम्बई, महाराष्ट्र	बृहद मुम्बई नगर निगम तथा नवीं मुम्बई नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	जहां तक आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान), मुम्बई को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII और XXIII के अंतर्गत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।
23	आयकर आयुक्त (टीडीएस) मुम्बई-2	मुम्बई, महाराष्ट्र	बृहद मुम्बई नगर निगम तथा नवीं मुम्बई नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	जहां तक आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान), मुम्बई को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII,

					XXI, XXII और XXIII के अंतर्गत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।
24	आयकर आयुक्त (टीडीएस), नागपुर	नागपुर, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में :- नागपुर, गोन्दिया, अकोला, बुलधाना,, वाशिम, वर्धा, चन्द्रपुर, गढ़चिरोली, भंडारा, यावतमल और अमरावती जिले	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	जहाँ तक आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं अंतरण मूल्य निर्धारण), पुणे को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII और XXIII के अंतर्गत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।
25	आयकर आयुक्त (टीडीएस), पटना	पटना, बिहार	बिहार और झारखंड राज्य:-	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	जहाँ तक आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं अंतरण मूल्य निर्धारण), कोलकाता को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठख, धारा 194ठखक की उपधारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII और XXIII के अंतर्गत संबंधित शक्तियों और कार्यों सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।
26	आयकर आयुक्त (टीडीएस) पुणे	पुणे, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में:- पुणे, अहमदनगर, सतारा, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, सिन्धुदुर्ग, रत्नागिरी, थाणे, रायगड, पालघाट, नासिक, धुले नन्दुरवाड, जलगांव, औरंगाबाद, प्रभानी, हिंगोली, जालना, नांदेड, बीड, लातूर और औसमानाबाद जिले	स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति जो अध्याय XVIIख या XVIIखख के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर कटौती या कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।	जहाँ तक आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं अंतरण मूल्य निर्धारण), पुणे को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 194ठख, धारा 194ठखक की उप-धारा (2), धारा, 194ठग, 194ठघ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न स्तंभ 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अध्याय XIII, XXI, XXII और XXIII के अंतर्गत संबंधित शक्तियों और

					कार्यो सहित उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत कर कटौती या कर संग्रहण से संबंधित सभी शक्तियां और कार्य।
--	--	--	--	--	---

[अधिसूचना सं. 55/2014 फा. सं. 187/39/2014 (आईटीए-1)]

दीपशखा शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
 New Delhi, the 30th October, 2014
(INCOME-TAX)

S.O. 2793(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of the notification of the Government of India, Central Board of Direct Taxes number S.O. 1386(E), dated the 10th August, 2007 and in partial suppression of the notification number S.O. 2752 dated 22nd October, 2014 published in the Gazette of India, Part-II, sub-section (ii), in so far as it relates to the persons or classes of persons mentioned in column (5) of the Schedule of this notification, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Direct Taxes, hereby,-

(a) directs that the Commissioners of Income-tax specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, having their headquarters at the places specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule, shall exercise the powers and perform the functions specified in column (6) of the said schedule, in respect of all cases of persons or classes of persons being residents or not ordinarily residents in India as per Section 6 of the Income-tax Act, 1961 and as specified in the corresponding entries in column (5), in the territorial areas mentioned in column (4) of the said Schedule;

(b) authorises the Commissioners of Income-tax referred to in this notification to issue orders in writing for the exercise of the powers and performance of the functions by the Additional Commissioners of Income-tax or Joint Commissioners of Income-tax, who are subordinate to them, in respect of such persons or classes of persons specified in the corresponding entry in column (5) of the said Schedule; and

(c) further authorises the Additional Commissioners of Income-tax or Joint Commissioners of Income-tax referred to in clause (b) of this notification, to issue orders in writing for the exercise of the powers and performance of the functions, by the Assessing Officers, who are subordinate to them, in respect of such persons or classes of persons specified in the corresponding entries in column (5) of the said schedule, in respect of which such Additional Commissioners of Income-tax or Joint Commissioners of Income-tax are authorised by the Commissioners of Income-tax under clause (b) of this notification.

2. For the purposes of this notification, “located” means,-

(a) in the case of persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956, its registered office or the place of business or any office or branch or division or unit;

(b) in the case of persons other than companies deriving income from business or profession, the principal place of such business or profession or the place of business or any office or branch or division or unit;

(c) in case of persons other than companies, deriving income from sources other than business or profession, being-

(i) an individual, the place of residence, unless otherwise provided in this notification;

(ii) an Hindu undivided family, the place of residence of the Karta;

(iii) a firm or an association of persons or a body of individuals or a local authority and all other artificial juridical persons other than companies, the place of office;

(d) in the case of any other person, the office of the person responsible for deducting or collecting tax at source.

3. Note :

(a) ‘Alphabet’ mentioned in serial numbers.11, 12, 22 and 23 of the Schedule means the alphabet, with which the first name of the person begins. The prefix titles such as Shri, Smt., M/s etc. shall be ignored for this purpose. Further in the case of offices of Government, Ministries, Departments, Organisations, Local bodies, Institutions, the ‘Alphabet’ would mean the alphabet with which the name of such Ministries, Departments, Organisations, Local bodies, Institutions, as the case may be, begins. For example, in case of Drawing and Disbursement Officers in the Ministry of External Affairs, the ‘Alphabet’ shall be ‘E’.

4. This notification shall come into force with effect from 15th day of November, 2014.

SCHEDULE

1	Commissioner of Income-tax (TDS), Ahmedabad	Ahmedabad, Gujarat	<p>a) In the State of Gujarat - Districts of Ahmedabad, Aravali, Banaskantha, Botandm Gandhinagar, Mehsana, Patan, Sabarkanta, Surendranagar, Rajkot, Kutchh, Junagadh, Amreli, Porbander, Jamnagar, Devbhoomi Dwarka, Gir Somnath, Morbi;</p> <p>b) District of Diu in the Union territory of Daman and Diu</p>	Any person responsible for deducting or collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVIIBB located in the territorial area mentioned in column (4)	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as assigned to Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer Pricing), Ahmedabad.
2	Commissioner of Income-tax (TDS), Vadodara	Vadodara, Gujarat	<p>a) In the State of Gujarat - Districts of Vadodara, Chotaudepur, Kheda, Anand, Panchmahal, Dahod, Bharuch, Narmada, Mahisagar, Surat, Tapi, Navsari, Valsad, The Dangs;</p> <p>b) District of Daman in the Union territory of Daman and Diu;</p> <p>c) Union territory of Dadra and Nagar Haveli.</p>	Any person responsible for deducting or collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVIIBB located in the territorial area mentioned in column (4)	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as assigned to Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer Pricing), Ahmedabad.
3	Commissioner of Income-tax (TDS), Bangalore	Bangalore, Karnataka	In the State of Karnataka - Bangalore Urban, Bangalore Rural, Kolar, Chikkaballapur, Ramanagaram, Mysore, Mandya, Hassan, Tumkur, Chikkmagalur, Chamarajanagar, Kodagu.	Any person responsible for deducting or collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVIIBB located in the territorial area mentioned in column (4)	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as

					assigned to Commissioner of Income-tax (International Taxation), Bangalore.
4	Commissioner of Income-tax (TDS), Panaji	Panaji, Goa	(a) In the States of Karnataka - Districts of Belgaum, Bijapur, Bagalkot, Karwar, Udupi, Mangalore, Bidar, Gulbarga, Yadagiri, Raichur, Koppal, Bellary, Gadag, Dharwad, Haveri, Shimoga, Davangere and Chitradurga; (b) State of Goa.	Any person responsible for deducting or collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVIIBB located in the territorial area mentioned in column (4)	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as assigned to Commissioner of Income-tax (International Taxation), Bangalore.
5	Commissioner of Income-tax (TDS), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	State of Madhya Pradesh and Chattisgarh	Any person responsible for deducting or collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVIIBB located in the territorial area mentioned in column (4)	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as assigned to Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer Pricing), Ahmedabad.
6	Commissioner of Income-tax (TDS), Bhubaneswar	Bhubaneswar, Odisha	State of Odisha	Any person responsible for deducting or collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVIIBB located in the territorial area mentioned in column (4)	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A,

					196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as assigned to Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer Pricing), Kolkata.
7	Commissioner of Income-tax (TDS), Chandigarh-1	Chandigarh	States of Punjab, Jammu and Kashmir and the Union territory of Chandigarh	Any person responsible for deducting or collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVIIBB located in the territorial area mentioned in column (4)	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as assigned to Commissioner of Income-tax (International Taxation), Delhi-2.
8	Commissioner of Income-tax (TDS), Chandigarh-2	Chandigarh	States of Haryana and Himachal Pradesh	Any person responsible for deducting or collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVIIBB located in the territorial area mentioned in column (4)	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as assigned to Commissioner of Income-tax (International Taxation), Delhi-2.
9	Commissioner of Income-tax (TDS), Chennai	Chennai, Tamil Nadu	(a) In the State of Tamil Nadu - Districts of Chennai, Kancheepuram, Vellore, Tiruvannamala, Tiruvallur, Cuddalore, Villupuram; (b) Union territory of Puducherry (excluding Yanam, Mahe and Karaikal district.	Any person responsible for deducting or collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVIIBB located in the territorial area mentioned in column (4)	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as assigned to Commissioner of Income-tax (International Taxation), Chennai.
10	Commissioner of Income-tax	Coimbatore, Tamil Nadu	(a) In the State of Tamil Nadu -	Any person responsible for deducting or	All powers and functions relating to deduction of tax or

	(TDS), Coimbatore		Districts of Coimbatore, Erode, Tirupur, Nilgiris, Trichy, Pudukottai, Perambalur, Ariyalur, Thiruvarur, Thanjavur, Karur, Nagapattinam, Dindigul, Theni, Sivaganga, Madurai, Virudhunagar, Tirunelveli, Ramanathapur- am, Kanyakumari, Tuticorin, Salem, Namakkal, Dharmapuri and Krishnagiri; (b) District of Karaikal in the Union territory of Puducherry.	collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVII BB located in the territorial area mentioned in column (4)	collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as assigned to Commissioner of Income-tax (International Taxation) Chennai.
11	Commissioner of Income-tax (TDS), Delhi- 1	New Delhi	Area within the limits of National Capital territory of Delhi	Any person responsible for deducting or collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVII BB located in the territorial area mentioned in column (4)	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), whose name begins with the alphabet 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K' or 'L' or 'M', other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as assigned to Commissioner(s) of Income-tax (International Taxation), Delhi.
12	Commissioner of Income-tax (TDS), Delhi- 2	New Delhi	Area within the limits of National Capital Territory of Delhi	Any person responsible for deducting or collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVII BB located in the territorial area mentioned in column (4)	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), whose name begins with the alphabet 'N' or 'O' or 'P'

					or 'Q' or 'R' or 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z', other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as assigned to Commissioner(s) of Income-tax (International Taxation), Delhi.
13	Commissioner of Income-tax (TDS), Guwahati	Guwahati, Assam	States of Assam, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Tripura	Any person responsible for deducting or collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVIIBB located in the territorial area mentioned in column (4)	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as assigned to Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer Pricing), Kolkata.
14	Commissioner of Income-tax (TDS), Hyderabad	Hyderabad, Telangana.	State of Telangana	Any person responsible for deducting or collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVIIBB located in the territorial area mentioned in column (4)	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as assigned to Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer Pricing), Hyderabad.
15	Commissioner of Income-tax (TDS), Vijayawada	Vijayawada, Andhra Pradesh	(a) State of Andhra Pradesh; (b) Yanam District of Union territory of Puduchery.	Any person responsible for deducting or collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVIIBB located in the territorial area mentioned in column (4)	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections

					194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as assigned to Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer Pricing), Hyderabad.
16	Commissioner of Income-tax (TDS), Jaipur	Jaipur, Rajasthan	State of Rajasthan	Any person responsible for deducting or collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVIIBB located in the territorial area mentioned in column (4)	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as assigned to Commissioner of Income-tax (International Taxation), Delhi-1.
17	Commissioner of Income-tax (TDS), Kanpur	Kanpur, Uttar Pradesh	(a) In the state of Uttar Pradesh- Districts of Kanpur Nagar and Kanpur Dehat (Ramabainagar, Jalaun, Hamirpur, Banda, Chitrakoot, Mahoba, Mathura and Auraiya, Agra, Firozabad, Jhansi, Lalitpur, Etawah, Aligarh, Farukhabad, Kannauj, Etah, Hathras, Mainpuri, Kansi Ram Nagar (Kasganj), Muzaffarnagar, Shamli, Saharanpur, Meerut and	Any person responsible for deducting or collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVIIBB located in the territorial area mentioned in column (4)	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as assigned to Commissioner of Income-tax (International Taxation), Delhi-3.

			Baghpat, Ghaziabad, Hapur, Bulandshahar and Gautam Buddha Nagar; (b) State of Uttarakhand.		
18	Commissioner of Income-tax (TDS), Kochi	Kochi, Kerala	(a) State of Kerala; (b) Union territory of Lakshadweep; (c) Mahe district of the Union territory of Puducherry.	Any person responsible for deducting or collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVIIBB located in the territorial area mentioned in column (4)	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as assigned to Commissioner of Income-tax (International Taxation) Bangalore.
19	Commissioner of Income-tax (TDS), Kolkata	Kolkata West Bengal	(a) In the state of West Bengal- (i) Areas within the limits of Kolkata Municipal Corporation; (ii) The districts of Howrah, North 24 Parganas, South 24 Parganas, Hooghly, Nadia, Murshidabad, Purba (East) Medinipur, Paschim(West) Medinipur; (b) The Union territory of Andaman and Nicobar Islands.	Any person responsible for deducting or collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVIIBB located in the territorial area mentioned in column (4)	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as assigned to Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer Pricing), Kolkata.
20	Commissioner of Income-tax (TDS), Siliguri	Siliguri West Bengal	(a) In the State of West Bengal- Districts of Burdwan, Birbhum, Bankura, Purulia, Maldah, Jalpaiguri, Alipurduar, Coochbehar, Darjeeling,	Any person responsible for deducting or collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVIIBB located in the territorial area mentioned in column (4)	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections

			Uttar (North) Dinajpur, Dakshin (South) Dinajpur; b) State of Sikkim.		194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as assigned to Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer Pricing), Kolkata.
21	Commissioner of Income- tax (TDS), Lucknow	Lucknow, Uttar Pradesh	(a) In the State of Uttar Pradesh: Districts of Lucknow, Unnao, Barabanki, Faizabad, Sultanpur, Amethi, Pratapgarh, Rae Bareilly, Jaunpur, Basti, Gonda, Bahraich, Balrampur, Shrawasti, Ambedkar Nagar, Siddharth Nagar, SantKabir Nagar, Allahabad, Mirzapur, Fatehpur, Sonebhadra, Kaushambi, Varanasi, Bhadohi (Sant Ravi Das Nagar), Ballia, Ghazipur, Chandauli, Gorakhpur, Deoria, Mau, Azamgarh, Kushinagar, Maharajganj, Bareilly, Shahjahanpur, Pilibhit, Hardoi, Sitapur, Lakhimpur Kheri, Moradabad, Bijnore, Rampur, Badaun, Amroha (Jyotiba Phule Nagar) and Sambhal.	Any person responsible for deducting or collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVIIBB located in the territorial area mentioned in column (4)	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as assigned to Commissioner of Income-tax (International Taxation), Delhi-3.

22	Commissioner of Income-tax (TDS), Mumbai-1	Mumbai Maharashtra	Area Covered by Municipal Corporation of Greater Mumbai and Navi Mumbai Municipal Corporation	Any person responsible for deducting or collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVIIBB located in the territorial area mentioned in column (4)	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII,XXI,XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), whose name begins with the alphabet 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K' or 'L' or 'M', other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as assigned to Commissioner(s) of Income-tax (International Taxation), Mumbai.
23	Commissioner of Income-tax (TDS), Mumbai-2	Mumbai Maharashtra	Area Covered by Municipal Corporation of Greater Mumbai and Navi Mumbai Municipal Corporation	Any person responsible for deducting or collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVIIBB located in the territorial area mentioned in column (4)	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII,XXI,XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column 5, whose name begins with the alphabet 'N' or 'O' or 'P' or 'Q' or 'R' or 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z', other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as assigned to Commissioner(s) of Income-tax (International Taxation), Mumbai.
24	Commissioner of Income-tax (TDS), Nagpur	Nagpur Maharashtra	In the State of Maharashtra – Districts of Nagpur, Gondia, Akola, Buldhana, Washim, Wardha, Chandrapur, Gadchiroli, Bhandara, Yavatmal and Amravati.	Any person responsible for deducting or collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVIIBB located in the territorial area mentioned in column (4)	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as assigned to Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer Pricing),

					Pune.
25	Commissioner of Income-tax (TDS), Patna	Patna, Bihar	States of Bihar and Jharkhand	Any person responsible for deducting or collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVIIBB located in the territorial area mentioned in column (4)	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as assigned to Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer Pricing), Kolkata.
26	Commissioner of Income-tax (TDS), Pune	Pune, Maharashtra	In the State of Maharashtra- Districts of Pune, Ahmednagar, Satara, Solapur, Sangli, Kolhapur, Sindhudurg, Ratnagiri, Thane, Raigad, Palghar, Nashik, Dhule, Nandurbar, Jalgaon, Aurangabad, Parbhani, Hingoli, Jalna, Nanded, Beed, Latur and Osmanabad.	Any person responsible for deducting or collecting tax at source for the purposes of Chapter XVII B or XVIIBB located in the territorial area mentioned in column (4)	All powers and functions relating to deduction of tax or collection of tax under Chapter XVII of the Income-tax Act, 1961, including related powers and functions under Chapter XIII, XXI, XXII and XXIII of the said Act, in respect of persons mentioned in column (5), other than sections 194E, 194LB, sub-section (2) of section 194LBA, sections 194LC, 194LD, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the said Act, in so far as assigned to Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer Pricing), Pune.

[Notification No. 55/2014. F. No. 187/39/2014 (ITA.I)]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director